FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर व अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट हड़ियाल

समुन्द्रसिंह बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा – अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट मु.नं. 36 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
09.05.18	आज यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 का पेश हुआ। वादपत्र दर्ज रजिस्ट्रर हो। वादी ने यह वादपत्र पेश कर अंकित किया है कि रोही ग्राम ढाणी मोतीसिंह जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 30 तथा रोही ग्राम ढाणा पट्टा राजपुरा जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 36 के राजस्व रिकार्ड में सम्पत सिंह पुत्र श्योलालसिंह दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेजों में मेरा सही नाम समुन्द्रसिंह है। वादी ने वाद की पुष्टी में आधार कार्ड व मतदाता फोटो पहचान पत्र स्वयं का शपथ पत्र ब्यान गवाह PW1 समुन्द्रसिंह PW2 जुगलाल के करवाये गये। तहसीलदार तारानगर ने वादी के वाद की अपने जबाव में पुष्टी की है। प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया वादी का वाद पुष्ट व प्रमाणित पाया जाता है। अतः तहसीलदार तारानगर की अभिशंषा के अनुसार ग्राम ढाणी मोतीसिंह जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 30 तथा रोही ग्राम ढाणा पट्टा राजपुरा जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 36 के राजस्व रिकार्ड वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी सम्पतसिंह के स्थान पर समुन्द्रसिंह शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार तारानगर को आदेश जारी हो। निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र हड़ियाल में मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर तरदीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	